प्रकरण संख्या 04 / 19 2019 / 00004 ता0रजू 07.01.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उम्मेद सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गुढ़ाचन्द्रजी 1 / 3 तहसील नादौती जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.12.2018 मुकदमा नं. 286 / 17 उनवानी सरकार बनाम उम्मेदसिंह न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली

उपस्थित— 1. श्री नवल किशोर शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी
2. श्री हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक
3. श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

निर्णय

दिनांक 28.08.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत जिला रसद करौली के निर्णय दिनांक 03.12.2018 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक नादौती की रिपोर्ट जिसमें दिनांक 28.08.2018 तक अवशेष स्टॉक 4981 लीटर केरोसीन एव पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 14.80 क्विं. गेंहूं व 26.83.35 क्विं. चीनी को निलंबन एवं बार–बार पाबंद किये जाने के बावजूद अटैच राशन डीलर को नहीं सम्भलाने एवं उक्त राशन सामग्री का दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.12.208 द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत का उक्त आदेश विधि के सिद्धान्तों के विपरीत, खिलाफ कानून एवं काबिले मंसूखी है। अपीलार्थी को गलत जांच के आधार पर बिना सुनवाई को मौका दिये आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। आदेश मातहत ने प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा दिनांक 16.08.2017 एवं 09.05.2017 की रिपोर्ट को आधार बनाकर दिनांक 08.05.2017 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जबकि सही तथ्य यह है कि जिस प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, उससे संबंधित कोई साक्ष्य सबूत उस रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं थे। जिस प्रकार अनियमितता अपीलार्थी द्वारा बरती गई उसके संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आदेश करने व सही विवेचन करने में भूल की है। अदालत मातहत ने जांच को विचाराधीन रखते हुए प्रार्थी के निलम्बन को बहाल कर दिया गया। इस दौरान अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री को नियमानुसार समय–समय पर सही आहरण वितरण किया गया व इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। इसके बावजूद बार–बार अलग–अलग प्रवर्तन निरीक्षक से जांच करवाना व सभी जांचे एक ही प्रकार की होना यह साबित करता है कि प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का ही एक मात्र उद्देश्य रहा हो। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भी मौके पर

जिला कलक्टर
करौली

जाकर कभी जांच नहीं की गई, भौतिक रूप से स्टॉक चैक नही किया गया। मनगढ़ंत तरीके से स्टॉक शून्य होना, अपने कार्यालय में बैठकर की गई कार्यवाही है। अपीलार्थी के आहरण वितरण के बाद सितम्बर 2016 से अगस्त 2018 के बाद शेष स्टॉक उपलब्ध था एवं आज भी स्टॉक सामग्री अपीलार्थी के पास उपलब्ध है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा काला बाजारी संबंधित कोई भी रिपोर्ट जांच पत्रावली उपलब्ध नहीं है। काला बाजारी किस प्रकार की गई, किस–किस को राशन सामग्री काला बाजारी में सप्लाई की गई, इस संबंध में किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य प्रवर्तन निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है। किसी भी शिकायतकर्ता या किसी भी व्यक्ति के बयान एवं कोई शिकायत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक नादौती की फर्द रिपोर्ट दिनांक 14.08.2017 से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री का सही वितरण किया जा रहा है। जो शिकायतें की गई हैं वे खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र व्यक्तियों द्वारा की जाती है एवं शिकायतों को झूठा होना माना है। उक्त रिपोर्ट के बावजूद भी पुनः बिना किसी शिकायत के जांच करवाना, प्रार्थी के विरूद्ध द्वेषता व साजसन प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करना ही एक मात्र उद्देश्य रहा है जो हरहाल में अपास्त होने योग्य है। आदेश मातहत के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि निलम्बन की तारीख 16.08.2018 व 06.11.2018 बाबत् कोई भी आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है, आदेश अपने आप में विरोधाभासी है। प्रार्थी से जांच में सितम्बर 2016 से अगस्त 2018 तक स्टॉक संभलवाने तक 4981 लीटर केरोसीन स्टॉक में नहीं होना गलत माना है जबकि अपीलार्थी के पास स्टॉक मौजूद था एवं आज भी वितरण पश्चात शेष स्टॉक उपलब्ध है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी के पास सितम्बर 2016 से अगस्त 2018 तक शेष राशन सामग्री 14.80 क्विंटल गेंहू व 26.83.35 क्विंटल चीनी पोश मशीन में टेक्निकल कमी से गलत दर्ज होने के कारण उसको काला बाजारी व वितरण में अनियमितता होना गलत माना है। जबकि दिसंबर तक कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2016 से अगस्त 2018 तक वितरण के पश्चात स्टॉक में केवल मात्र 8 किग्रा गेंहू, 117 किग्रा चीनी एवं 4389.8 लीटर केरोसीन अपीलार्थी पर स्टॉक में शेष बचता है जो आज भी अपीलार्थी के पास स्टॉक में मौजूद है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनांक 21.12.2018 भी उक्त तथ्य की पुष्टि करता है जब सितंबर 2016 से अगस्त 2018 एवं दिसंबर तक वितरण के पश्चात उक्त शेष राशन सामग्री बचती है तो किसी प्रकार की कालाबाजारी एवं अनियमितता सिद्ध नहीं होती है। आदेश मातहत द्वारा एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ मनमाना व बिना सुनवाई के एकतरफा में पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा दिनाक 05.11.2018 को जारी किये गये नोटिस से ही यह स्पष्ट है कि नोटिस दिनांक 05.11.2018 को जारी किया गया लेकिन नोटिस पर हस्ताक्षर दिनांक 15.11.2018 को किये गये है। इससे स्पष्ट है कि नोटिस जारी करना मात्र खानापूर्ति रहा है। जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस ही नहीं दिये गये और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई। आदेश दिनांक 3.12.2018 अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया। आदेश दिनांक 03.12.2018 बाबत् प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा दिनांक 12.12.2018 को पत्र क्रमांक रसद / अभियोजन / 2018–19 / एसपी1 अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2018 को प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई एवं जिसमें शेष स्टॉक अन्य डीलरों को संभलाने के आदेश भी था। जिसका जवाब भी स्टॉक को संभलाने का निर्देश देने हेतु अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया। आदेश की जानकारी दिनांक 17.12.2018 को होने पर प्रार्थी द्वारा आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 17.12.2018 को किया। दिनांक 02.01.2019 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश है। दिनांक 12.12.2018 के पत्र के निर्देशन पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2018 को डीलर भरत सिंह उचित मूल्य

जिला कलक्टर
करौली

दुकानदार पाल को केरोसीन 880 लीटर संभलाया गया जिसकी डीलर द्वारा प्राप्ति रसीद व पौश मशीन रसीद संलग्न है। शेष स्टॉक अन्य डीलरों शिवलाल मीना 19314, लल्लूराम मीना 19300, हेमसिंह 19306 व जगदीश सिंह 25416 द्वारा अपीलार्थी के स्टॉक संभलाने की कहने पर उक्त डीलरों ने शेष स्टॉक लेने से इन्कार कर दिया व स्टॉक नहीं लिया गया। शेष स्टॉक 3509.8 लीटर केरोसीन, 08 किग्रा गेहूं व 117 किग्रा चीनी अपीलार्थी के पास स्टॉक में आज भी उपलब्ध है। जिसे आदेशानुसार अपीलार्थी संभलवाने को तैयार है। इस बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है। अपील अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 12.12.2018 को दी गई सूचना दिनांक 17.12.2018 को प्राप्त होने पर व आदेश नकल दिनांक 02.01.2019 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश है। अंत में जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 03.12.2018 को अपास्त कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि अपीलार्थी डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं देने की शिकायत पर दिनांक 09.05.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसके आधार पर दिनांक 18. 05.2017 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। दिनांक 16.08.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा पुनः जांच की गई जिसमें 97 क्विं. गेंहूं, 3809.5 लीटर केरोसीन को स्टॉक में अवशेष होने पर भी अटैच राशन डीलर को सुपुर्द नहीं करने की अनिमितता का तथ्य अंकित किया गया। इस बीच 90 दिन की अवधि गुजरने के कारण जांच विचाराधीन रखते हुए दिनांक 23.08.2017 को अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को निलंबन से बहाल कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी द्वारा कुछ राशन सामग्री का वितरण किया गया। माह अगस्त 2018 के आवंटित गेंहूं का उठाव परिवहनकर्ता द्वारा दिनांक 11.08.2018 को आपूर्ति के पश्चात् भी नहीं उतरवाने की अनियमितता पर उपखण्ड अधिकारी(रसद) नादौती द्वारा दिनांक 16.08.2018 को निलंबित कर दिया। निलंबन के पश्चात् अपीलार्थी डीलर द्वारा राशन सामग्री का स्टॉक अटैच डीलर को नहीं दिया गया एवं निलंबन आदेश दिनांक 16.08.2018 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर दिनांक 06. 11.2018 को उपखण्ड अधिकारी(रसद), नादौती द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबन से बहाल किया गया। दिनांक 03.11.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक, टोड़ाभीम द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई थी जिसमें अपीलार्थी द्वा वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर को पोश मशीन सम्भलाते समय स्टॉक में अवशेष राशन सामग्री 14. 80 क्विं. गेंहूं व 26.83.35 क्विं. चीनी नहीं सम्भलाने तथा इसी क्रम में अक्टूबर 2016 से अगस्त 2018 तक वितरण के पश्चात् अवशेष 49.81 लीटर केरोसीन होने के बावजूद भौतिक सत्यापन पर अवशेष राशन सामग्री नहीं मिलने संबंधी अनियमितता पायी गई। उक्त अनियमिततओं पर अपीलार्थी के राशन प्राधिकार पत्र को दिनांक 15.11.2018 को पुनः निलंबित कर नोटिस जारी किया गया जिसे अपीलार्थी द्वारा लेने से मना कर दिया गया। इसके पश्चात् रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। बावजूद सूचना अपीलार्थी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः जांच करवायी गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.11.18 को प्रस्तुत की गई जिसमें बार–बार पाबंद करने के बावजूद पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण करना, 18.05.2017 को निलंबित होने के बावजूद 3809.5 लीटर केरोसीन, 97 क्विं. गेंहूं अटैच डीलर को सुपुर्द नहीं करना, अक्टूबर 2016 से 28.08. 2018 तक स्टॉक में 4981 लीटर केरोसीन स्टॉक में अवशेष होने के बावजूद अटैच डीलर को सुपुर्द नहीं करना, दिनांक 28.08.2018 को अटैच डीलर को पोस मशीन सुम्भलाते समय स्टॉक में 14.80 क्विं. गेंहूं व 26.83.35 क्विं. चीनी पोस मशीन में अवशेष होने के बावजूद नहीं सम्भलाना, दिनांक 03.11.2018 में डीलर की दुकान का भौतिक

जिला कलक्टर
करौली

सत्यापन करने पर गेंहूं, केरोसीन एवं चीनी का स्टॉक शून्य मिलना आदि अनियमितताएं पाई गईं जिससे राशन डीलर द्वारा 4981 लीटर केरोसीन, 14.80 क्विं. गेंहूं, एवं 26.83.35 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग प्रमाणित पाये जाने पर अपीलार्थी के राशन प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। निलंबन आदेशों की पालना में 15.11.2018 के निलंबन तक यदि राशन डीलर राशन सामग्री को नहीं ले रहे थे तो अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में जिला रसद कार्यालय को अवगत नहीं करवाया गया। दिनांक 06.11.2018 को उपखण्ड अधिकारी (रसद), नादौती द्वारा अपीलार्थी डीलर के प्राधिकर पत्र को बहाल किये जाने एवं 15.11.2018 को पुनः निलंबन किये जाने के बीच में कुछ राशन सामग्री अपीलार्थी डीलर द्वारा वितरित कर दी गई। इस प्रकार दिनांक 12.12.2018 को राशन डीलर के पास शेष स्टॉक 4389.8 लीटर केरोसीन, 08 किग्रा गेहूं व 117 किग्रा चीनी शेष रही थी जिसकी वसूली आदेश पारित किये गये थे और अपीलार्थी द्वारा उक्त राशन सामग्री अटैच डीलरों को सुपुर्द कर दी गई है लेकिन बार–बार पाबंद किये जाने के बावजूद राशन सामग्री अटैच डीलरों को सुपुर्द नहीं करना, वक्त जांच दिनांक 03.11.2018 को राशन दुकान पर अवशेष 4981 लीटर केरोसीन, 14.80 क्विं. गेंहूं, एवं 26.83.35 क्विं. चीनी का नहीं मिलना गंभीर अनियमितता है जिसके कारण अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी को तीन बार दिनांक 18.05.2017, 16.08.2018, 15.11.2018 को निलंबित किया गया लेकिन राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री अटैच डीलर को सुपुर्द नहीं की गई। दिनांक 03.11.2018 को वक्त जांच राशन डीलर की दुकान पर अवशेष स्टॉक 4981 लीटर केरोसीन, 14.80 क्विं. गेंहूं, एवं 26.83.35 क्विं. चीनी का नहीं मिलना भी गंभीर अनियमितता है जबकि राशन डीलर द्वारा दिनांक 06.11.2018 को प्राधिकार पत्र बहाल होने एवं 15.11.2018 को प्राधिकार निलंबित होने के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया है एवं प्राधिकार पत्र निरस्त होने के बाद सम्पूर्ण शेष रसद सामग्री को अटैच राशन डीलर को सुपुर्द भी किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी राशन डीलर राशन सामग्री होने के बावजूद उपभोक्ताओं को वितरित नहीं करता था, राशन सामग्री का भण्डारण स्वीकृत राशन दुकान/गोदाम में ना करके किसी अन्य जगह करता है ताकि वसूली होने पर राशन सामग्री को जमा करवा सके और रसद सामग्री नहीं होने का बहाना करके उपभोक्ताओं को वितरण ना करके उन्हें परेशान करे। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं जिसके कारण हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खाारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.12.2018 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली